तीन: परीक्षा योजना :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशों के परिपालन में परीक्षा योजना निम्नानुसार आयोजित की जाएंगी :-

राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2022 में कुल दो प्रश्न-पत्र होंगे।

1. प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य) :- सामान्य प्रश्न-पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति (General Paper on Teaching and Research Aptitude)वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न 50(पचास) होंगे । अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न-पत्र कुल 100 (सौ) अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि एक घंटा (60 मिनिट) होगी ।

2. द्वितीय प्रश्न-पत्र :- चयनित (ऐच्छिक) विषय का होगा। द्वितीय प्रश्न-पत्र में कुल 100 (सौ) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 02 (दो) अंकों का होगा । प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रमानुसार पूर्णतय: वस्तुनिष्ठ (Objective Type Question) प्रकार का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नः- सुमेंलित टाइप, सत्य/असत्य, कथन कारण प्रकार के (Multiple Choice Question : Matching, True/False, Assertion Reasoning Type) होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र कुल 200 (दो सौ) अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि दो घंटा (120मिनिट) होगी। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अन्तराल के तीन घंटे होगी।

प्रश्न पत्र	पूर्णांक	प्रश्नों की संख्या	परीक्षा अवधि
प्रथम	100	50 प्रश्न, सभी अनिवार्य	01 घंटा (60 मिनिट)
द्वितीय	200	100 प्रश्न,सभी अनिवार्य	02 घंटा (120 मिनिट)

टीपः- सेट-2022 में Chemical Science, Earth Science, Life Science, Mathematical Science, Physical Science, विषय के परीक्षा प्रारूप भी यू.जी.सी. नेट परीक्षा प्रारूप के अनुसार रहेगा । सी.एस.आई.आर. के निर्देशानुसार Mathematical Science के पाठ्यक्रम में 4 इकाई हैं जो गणित एवं सांख्यिकी के अभ्यार्थी के लिये इकाई अनुसार विभाजित है ।इस विषय के पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक निर्देश उच्चशिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएँगे।Music और Performing Arts के पाठ्यक्रम के आवश्यक निर्देश भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे ।

1. प्रश्न-पत्र हल करते समय दिव्यांगजनों के सह-लेखक की योग्यता स्नातक अथवा उससें कम होनी चाहिये । सह-लेखक लेने की स्थिति में प्रथम प्रश्न-पत्र में 20 मिनिट तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 40 मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा । केवल ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जिन्हें वर्णित श्रेणी में सह-लेखक की पात्रता है के लिए परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अन्तराल के चार घंटे होगी। सह-लेखक हेतु पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थी सहलेखक की अनुमति हेतु केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर तथा घोषणा-पत्र भरकर अनुमति प्राप्त करें।

2. किसी भी प्रश्न-पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

Exam Sarkari Result.info

नोट :- सभी विषयों की परीक्षा की तिथि 04 जुन, 2023 एवं समय सारणी आयोग की वेबसाइट पर पृथक से विज्ञप्ति द्वारा जारी की जाएगी तथा अभ्यर्थी के प्रवेश-पत्र पर भी अंकित रहेगा।

चार: पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश :-

पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना संबंधी समस्त निर्देश, किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जाएगा। संबंधित विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से प्राप्त करें। राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2022 के विषय एवं उनके स्नातकोत्तर विषयों व स्नातकोतर, उपाधि, की सूची हेतु (परिशिष्ट-1)।

पांच:- परीक्षा परिणाम की घोषणा:-

सेट 2022 का परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति/नियम के अनुसार (म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जाएगी ।

प्रथम चरण - सर्वप्रथम समस्त विषयों के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 06 प्रतिशत को अर्ह संख्या (स्लॉट) के रूप निर्धारित की जाएगी ।

द्वितीय चरण - द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 06 प्रतिशत के प्राप्त कुल अर्ह संख्या (स्लॉट) को मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार (म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार) विभिन्न श्रेणीयों के लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत अनुसार अर्ह संख्या (स्लॉट) आवंटित कर दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत श्रेणियों हेतु आरक्षित किया जाएगा । प्रत्येक श्रेणी में महिला प्रवर्ग हेतु होरिजोन्टली 33 प्रतिशत आरक्षण होगा । दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के अनुसार राज्यशासन के निर्देशानुसार दिव्यांजन के प्रवर्ग में दिव्यांगजन की श्रेणी अनुसार में कुल होरिजोन्टली 06 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

तृतीय चरण - सेट परीक्षा के प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर अर्ह (स्लॉट) ज्ञात की जाएगी ।

क्र.	श्रेणी	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र
		दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत	
1	अनारक्षित श्रेणी	40%	
2	आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), EWS एवं दिव्यांगजन	35%	

चतुर्थ चरण - विषयवार एवं वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाएगा ।

विषय के उन अभ्यार्थियों की संख्या
जिन्होने उस श्रेणी में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर ली है X उस श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हतासंख्या (स्लॉट)
-- =
उस श्रेणी के समस्त विषयों के न्यूनतम अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों की संख्या

Exam Sarkari Result.info